न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 227 / 2023

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. ग्यारसी पत्नी हजारी जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
2. दीपचन्द पुत्र हजारी जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री हजारी जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री हजारी जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
5. सावित्री देवी पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
6. सोनू पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 10/9/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 170 / 158 की कुल 0.9030 हैक्ट भूमि स्थित जिसके हजारी पुत्र पेमाराम जाति जाट खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के खाता स0 142 / 140 के ख0न0 91 / 1 की 0.2900 हैक्ट भूमि ख0न0 93 / 3 की 3.5440 हैक्ट भूमि कुल 3.7940 हैक्ट भूमि जिसमें 885 / 1897 हिस्सा भूमि हजारी पुत्र पेमाराम व 1012 / 1897 हिस्सा भूमि ग्यारसी पत्नी हजारी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है सायल के दादा हजारी पुत्र पेमाराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा सायल के दादा के चार पुत्रगण महेन्द्र सिंह, दीपचन्द, बलराम व नन्दराम हुए तथा पुत्रीया सुमित्रा व सिलोचना हुई तथा सायल के दादा के दो पुत्रगण बलराम व नन्दराम लावल्द फौत हो चुके है जिसके वारिसान सायल व गैरसायलान संख्या 5 व 6 है उपरोक्त वारिसान हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी है।

उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है [illegible] भूमि पैतृक होने के कारण गैरसायल स0 1 ता 4 पर औद हुई है जिस[illegible] हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 के नाम उक्त वाद भूमि बतौर हिन्दु क[illegible] दर्ज है। गैरसायला [illegible] के नाम वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि दर्ज होने के कारण अन्यत्र रहन/बैय करने पर उतारू है यदि ऐसा में गैरसायल स0 1 कामयाब हो जाते है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए सायल, गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के खाता स0 142/140 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि मे गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज 1012/1897 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के खाता स0 142/140 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की समस्त भूमि पैतृक नही है रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख0न0 91 की 15 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 93 की अगुणा की 35 बीघा 4 बिस्वा भूमि तथा ख00 96 की 12 बीघा कुल 96 बीघा भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 को उनके पत्नी हजारी वल्द पेमाराम द्वारा दिनांक 28.11.2017 को रजि0 वसीयत निष्पादित करवा दी उक्त भूमि हजारी वल्द पेमाराम दिनांक 18.07.1989 को रजि0 बेयनामा से खरीदशुदा भूमि थी इसलिए अप्रार्थी स0 1 की भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही है। समस्त भूमि पैतृक भूमि नही है। सायल ने समस्त भूमि पैतृक होना गलत कथन किया है सायल क्लीन हैण्ड नही आया है इसलिए उक्त भूमि में सायल किसी प्रकार की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है सायल 26 डीपीएन की भूमि में महेन्द्रसिंह के हिस्से में से अपने हिस्से की मांग कर सकते है महेन्द्रसिंह को पक्षकार ही नही बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की चित्रप्रति से स्पष्ट है कि रोही मौजा सोतीबड़ी की वाद भूमि हजारी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है तथा उक्त भूमि की हजारी पुत्र पेमाराम द्वारा अपनी पत्नी ग्यारसी पत्नी हजारीराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 28.07.2019 को हजारी की मृत्यु हो चुकी है एवं चित्रप्रति आम सूचना क्रमांक 57 दिनांक 05.01.2021 तहसीलदार नोहर के अनुसार उक्त वाद भूमि की वसीयत की सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाबत प्रकरण तहसील कार्यालय में जैरकार है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामे व वसीयत के खंडन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा व वसीयत आदिनांक तक वैध है।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 01.09.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/9/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

P.J.

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:13 IST
Reason: SelfAttested